संख्या:01/2025/07/43-1-2024

प्रेषक,

डा० शील अस्थाना,
संयुक्त निदेशक कम- उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ०प्र० सूचना आयोग,
लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 **लखनऊ:: दिनांक 02 जनवरी, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुपूरक अनुदान का बजट स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उ0प्र0, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक बजट के रूप में उ0प्र0 सूचना आयोग में अनुदान संख्या-46 लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर, 800-अन्य,03-उ0प्र0 सूचना आयोग का गठन के अन्तर्गत मद संख्या-46-कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर का क्रय हेतु रू० 15.00 लाख तथा 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान हेतु धनराशि रू० 105.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू० 120.00 लाख (रूपया एक करोड़ बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निर्वतन पर रखे जाने हेतु निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में धनराशि का उपयोग नई सेवाओं और मदों पर न किया जाय।

(2) यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्ति की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-35/2024/बी-2-768/दस-2024-244/2024(II), दिनांक 27-12-2024 में निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 सूचना आयोग का गठन के अन्तर्गत उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा० शील अस्थाना)
संयुक्त निदेशक कम-उप सचिव।

संख्या: 01/2025/07/43-1-2025,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा-परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थायी निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डा० शील अस्थाना)
संयुक्त निदेशक कम-उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।